

Ref No : अं का. ZO/प्रा.क्षे. PS/128/19-20

Date: 09.08.2019

पटना अंचल के सभी शाखाओं के लिए


विषय: डेय-एनयूएलएम (DAY-NULM) के तहत स्वंम सहायता समूहों एवं शहरी गरीबों को वित्तीय सहायता और क्रेडिट लिंकेज को उपलब्ध कराने के संदर्भ में।

जैसा की आप सभी को पता है की शहरी क्षेत्रों के गरीबों के लिए नगर विकाश एवं आवास विभाग, बिहार सरकार के द्वारा दीनदायल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी जीविका मिशन (Deendayal Dayal Antyoday Yojna - National Urban Livelihood Mission) चलाया जा रहा है। जिसके तहत शहरी क्षेत्रों में महिला स्वंम सहायता समूहों के गठन एवं स्वंम सहायता समूहों/व्यक्तिगत उद्यमियों को कम ब्याज दर पर वित्तिय सहायता उपलब्ध करना है।

इस विषय में हमारे प्रधान कार्यालय ने अपने परिपत्र स. सीएचओ/एआरबीडी/06/2017-18 दिनांक 18.07.2017 में स्कीम से संबन्धित जरूरी दिशा-निर्देश सभी शाखाओं को भेजा जा चुका है। अतः शाखाओं को यह निर्देश दिया जाता है की नगर विकाश एवं आवास विभाग से प्रेषित स्व. रोजगार कार्यक्रम के आवेदनो को भारतीय रिजर्व बैंक और अपने बैंक द्वारा जारी सभी निर्देशों का अनुसरण करते हुए यथाशीघ्र निपटान करे।

टी. एस. शर्मा

अंचल प्रबन्धक



प्रतिलिपि: - मंजूर विकाश एवं आवास विभाग, बिहार सरकार